



2026:AHC:32187-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका सं. - 3256 सन् 2026

श्रीमती रीता देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा प्रमुख सचिव और 14 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण) : आशुतोष कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण) : जी.ए.

न्यायालय सं. - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए को सुना।

2. याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहत के लिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है: -

"1- माननीय न्यायालय, परमादेश प्रकृति की रिट के माध्यम से, आदेश/निर्देश के माध्यम से, प्रतिवादियों को बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन- सरायलखांसी जिला- मऊ, निर्धारित/निर्धारित अवधि के भीतर और पुलिस रिपोर्ट भेजने और प्रतिवादी संख्या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को जेल में गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, की धारा 3(5), 115(2), 110, 352, 351(2), 75(2) 79, 89, 131, 324(2), 333 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 354 सन् 2025 की निष्पक्ष विवेचमा पूरी करने का आदेश/निर्देश दे सकता है।

2- माननीय न्यायालय के विचार में, कृपया जहां तक संभव हो, याचिकाकर्ता के पक्ष में किसी अन्य उपयुक्त याचिका/आदेश/निर्देश, राहत/राहत को पारित करने और देने में कृपालु रहें।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है जो बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन- सरायलखांसी, जिला- मऊ की धारा 354 के तहत 2025 की धारा 354 के तहत दर्ज की गई थी। उक्त एफआईआर के अनुसार, पुलिस ने मामले की विवेचमा की और विवेचमा पूरी करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 4 से 15 के पक्ष में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर, याचिकाकर्ता सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुआ और एक विरोध याचिका दायर की, जिसके आधार पर विद्वान मजिस्ट्रेट ने विरोध याचिका को स्वीकार करते हुए दिनांक 08.12.2025 को एक विस्तृत आदेश पारित किया और पुलिस को उस मामले की आगे की विवेचमा करने का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप विवेचमा अभी भी जारी है।

4. इसके मद्देनजर, इस न्यायालय द्वारा कोई और आदेश पारित नहीं किया जा सका।

5. हालांकि, याचिकाकर्ता अपनी आगे की शिकायत के निवारण के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है।

6. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

फरवरी 12, 2026

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"